कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2548 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 14. जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/149024/2021

सन्दर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी. पी./06/18/2023/ एफ.सी./1810 दिनांक 16.03.2023

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 2280/12–1 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है : –

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तर
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/।।।(2)/18–15 (सामान्य) /2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्नक–1)** के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विशयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व0भू0– सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 **(संलग्नक–2)** में प्रदत्त निर्देशानुसार 7 मी0 चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2548/12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।